न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**
प्रकरण संख्या – 181/2024
अनवान : –

1. भंवरलाल पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. बाबुलाल पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
2. हीराराम पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
3. अमरी देवी पुत्री हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
4. कमला पुत्री हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
5. केशर देवी पुत्री हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
6. चंदा पुत्री रेशमी देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
7. चावली पुत्री हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
8. मंजू पुत्री मुली देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
9. मोनिका पुत्री मुली देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
10. रेवताराम पुत्र रेशमी देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
11. लक्ष्मी देवी पुत्री मुली देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
12. लिछमा पुत्री हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
13. सुखमा पुत्री हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
14. सुगणा पुत्री मुली देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
15. सुनिता पुत्री मुली देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
16. सोना पुत्री मुली देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
17. हुणताराम पुत्र रेशमी देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः- 07/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एव प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मोजा देवासर तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 366/356 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 10.0660 है0 भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं।

उपरोक्त भूमि वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 ता 17 की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमे वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 17 का अ... व हिस्सा है। यह कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 व 12,13 जो कि वादी व प्र... ... है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपने परिवार के ... व्यक्तियो के सामने ... भाईयो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। तथा प्रतिवादी संख्या 6, 8 ता 11, 14 ता 17 जो कि वादी व प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:29:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

संख्या 1 ता 2 के भांजी व भांजे है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहते है मुताबीक पारिवारीक समझोता अपना जो भी हक व हिस्सा उपरोक्त भूमि है अपने परिवार के मोजिज व्यक्तियो के सामने अपने मामा के पक्ष में परित्याग कर चुके है। जिसके पष्चात् मुताबीक पारिवारीक समझोता रोही मोजा देवासर तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 366/356 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 10.0660 है0 भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ब.हि.ब काबिज है। वादी जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 17 ने जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 18 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2075–78 रोही मौजा जबरासर खाता संख्या 544/535, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 व 12,13 जो कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 कि बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपने परिवार के मोजिज व्यक्तियो के सामने अपने भाईयो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। तथा प्रतिवादी संख्या 6, 8 ता 11, 14 ता 17 जो कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के भांजी व भांजे है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहते है मुताबीक पारिवारीक समझोता अपना जो भी हक व हिस्सा उपरोक्त भूमि है अपने परिवार के मोजिज व्यक्तियो के सामने अपने मामा के पक्ष में परित्याग कर चुके है। जिसके पष्चात् मुताबीक पारिवारीक समझोता रोही मोजा देवासर तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 366/356 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 10.0660 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:29:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ब.हि.ब काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा देवासर तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 366/356 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 10.0660 है0 भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि, हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। 3 ता 5 व 12,13 जो कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 कि बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपने परिवार के मोजिज व्यक्तियो के सामने अपने भाईयो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। तथा प्रतिवादी संख्या 6, 8 ता 11, 14 ता 17 जो कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के भांजी व भांजे है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा देवासर तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 366/356 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 10.0660 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 3 ता 17 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को ब.हि.ब का बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:29:03 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 181/2024

अनवान : –

1. भंवरलाल पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. बाबुलाल पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
2. हीराराम पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
3. अमरी देवी पुत्री हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
4. कमला पुत्री हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
5. केशर देवी पुत्री हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
6. चंदा पुत्री रेशमी देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
7. चावली पुत्री हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
8. मंजू पुत्री मुली देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
9. मोनिका पुत्री मुली देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
10. रेवताराम पुत्र रेशमी देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
11. लक्ष्मी देवी पुत्री मुली देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
12. लिछमा पुत्री हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
13. सुखमा पुत्री हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
14. सुगणा पुत्री मुली देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
15. सुनिता पुत्री मुली देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
16. सोना पुत्री मुली देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
17. हुणताराम पुत्र रेशमी देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 181 सन 2024 निर्णय दिनांक – 07/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा देवासर तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 366/356 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 10.0660 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 3 ता 17 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को ब.हि.ब का बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/03/2024 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:29:03 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर